संख्या–2882(2)/86–2017–153(सामान्य)/2017

प्रेषक,

डा0 बलकार सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांकः 02 नवम्बर, 2017

विषयः–ग्रामीण अंचलों में 10 ट्राली मिट्टी के उपयोग पर रायल्टी और उसे निकालने, ले जाने आदि के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप सं0–427/एम0–1ए–15/11, दिनांक–10.07.2014 द्वारा साधारण मिट्टी के प्रयोग के सम्बन्ध में भवनों से भिन्न ग्रामीण अंचल में स्वयं के छोटे–छोटे गृहों के कार्यों में स्वयं के खेत से 10 ट्राली मिट्टी के उपयोग पर रायल्टी/शुल्क से छूट सम्बन्धी स्पष्टीकरण/निर्देश निर्गत किये गये थे। विभिन्न स्त्रोतों से शासन के संज्ञान में लाया गया है रायल्टी अथवा अन्य शुल्कों का अपवंचन करने के उद्देश्य से मिट्टी का व्यावसायिक उपयोग करने वालों द्वारा उक्त की आड़ में साधारण मिट्टी का व्यावसायिक खनन/उपयोग किया जा रहा है।

2. अतः इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसानों आदि द्वारा 10 ट्राली मिट्टी के उपयोग के संबंध में तात्कालिक प्रभाव से निम्न प्रक्रिया अपनायी जाए :–

(1). ग्रामीण अंचलों में व्यक्तियों द्वारा अपने खेत से अधिकतम् 10 ट्राली मिट्टी उठाकर स्वयं के छोटे–छोटे गृह निर्माण/कुम्हार कार्य/मत्स्य–पालन हेतु तालाबों को बनाने के लिए ही मिट्टी पर रायल्टी से छूट अनुमन्य होगी। उक्तानुसार ले जायी जाने वाली मिट्टी का व्यावसायिक उपयोग किये जाने की स्थिति में उसे अवैध खनन की श्रेणी में माना जायेगा और तद्नुसार सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(2). आवेदक द्वारा संलग्न प्रारूप पर सम्बन्धित आशय का प्रार्थना पत्र सम्बन्धित जिला अधिकारी/उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में दो प्रतियॉ में दी जायेगी और उसके एक प्रति की प्राप्ति का प्रमाण (तिथि/समय एवं मुहर के साथ) आवेदक को अपने पास रखना होगा तथा जॉच के दौरान उसे प्रस्तुत करने पर ही उसे रायल्टी से छूट का लाभ अनुमन्य होगा।

(3) उक्त प्रारूप पर दी जाने वाली सूचना में आवेदक का नाम व मोबाइल नं0, आवेदक के पिता का नाम, स्थान का विवरण–जहॉ से मिट्टी निकाली जानी है, मिट्टी की मात्रा, स्थान का विवरण–जहॉ मिट्टी डाली जानी है, मिट्टी किस कार्य/प्रयोजन हेतु प्रयोग में लायी जायेगी, मिट्टी परिवहन की अवधि, मिट्टी के निकासी स्थल से गन्तव्य स्थल के बीच की दूरी, ट्रैक्टर जिसके द्वारा मिट्टी का परिवहन किया जायेगा, का विवरण,